



न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्थान वाद संख्या: 294/2019

दायर दिनांक 17.12.2019

वादीगण	प्रतिवादीगण
<p>सत्यम् 1. मुजीबुर रहमान पुत्र हुसैन खां उम्र 44 वर्ष, जाति कायमखानी, निवासी-छापरी खुर्द, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।</p>	<p>1. भंवरसिंह पुत्र स्व. मगनसिंह 2. दौलतसिंह पुत्र स्व. मगनसिंह 3. लालसिंह पुत्र स्व. मगनसिंह 4. दयालसिंह पुत्र स्व. मगनसिंह 5. किरण कंवर पुत्री स्व. मगनसिंह 6. सूरजकंवर पुत्री स्व. मगनसिंह 7. अमर सिंह पुत्र स्व. उगमसिंह 8. पूर्णसिंह पुत्र स्व. उगमसिंह 9. रघुवीरसिंह पुत्र स्व. उगमसिंह 10. बुद्धराजसिंह पुत्र स्व. लिछमणसिंह 11. सोहन कंवर पत्नि स्व. लिछमणसिंह 12. छगन कंवर पत्नि स्व. सुगनसिंह 13. रूपसिंह पुत्र केशरसिंह 14. नाहरसिंह पुत्र केशरसिंह 15. इन्द्रसिंह पुत्र केशरसिंह 16. घेनसिंह पुत्र केशरसिंह समस्त जातियान राजपुत, निवासी-छापरी कला 17. हसन बानो बेवा बाबुखां 18. नूर मो. खां पुत्र बाबुखां 19. नवीशेर खां पुत्र बाबुखां 20. अब्दुल रहमान पुत्र बाबुखां 21. शहनाज पुत्री बाबुखा 22. मुस्ताकखां पुत्र अस्तअलीखां समस्त जातियान कायमखानी, निवासी-छापरी खुर्द 23. जरीना बानो पत्नी मुमताज 24. नेक मोहम्मद पुत्र मुमताज 25. इरफान पुत्र मुमताज 26. सफी पुत्र मुमताज 27. रहीशा पुत्री मुमताज 28. बलकेश पुत्री मुमताज समस्त जातियान-मुसलमान नाई, निवासी छापरी खुर्द 29. अजीतखां पुत्र नजीरखां जाति कायमखानी, निवासी-बड़ी छापरी। 30. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रूपाराम जाति जाट, निवासी- तारपुरा। 31. अयुबखां पुत्र समदरखां जाति कायमखानी निवासी- छापरी खुर्द। 32. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर</p>

बनाम्

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 294/2019
दायर दिनांक 17.12.19, निर्णय दिनांक 07.08.2020
मुजीबूर रहमान बनाम भंवरसिंह, वगैरा।

दावा बाबत
बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा- 53, 188, R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्रीमति सन्तोष जाजू व श्री मुस्ताक खां वकील वादी उपस्थित।
2. श्री हकीम खां वकील प्रतिवादी सं. 30, 31 उपस्थित।

-:: अंतिम निर्णय ::-

दिनांक 07.08.2020

सरहद पावटा में पैतृक सम्पत्ति की भूमि खेत खसरा नम्बर पुराना 45 व नया खसरा नम्बर 108 रकबा 18.02 बीघा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 18.03.2020 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 875 दिनांक 17.06.2020 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन जरिये पत्रांक: 875 दिनांक 17.06.2020 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा डिक्री सादिर कर, सरहद पावटा में पैतृक सम्पत्ति की भूमि खेत खसरा नम्बर पुराना 45 व नया खसरा नम्बर 108 रकबा 18.02 बीघा भूमि का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 875 दिनांक 17.06.2020 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 875 दिनांक 17.06.2020 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(अंशुल सिंह)

सहायक R.A.S. लेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना

अंतिम निर्णय आज दिनांक 07.08.2020 को सरे इजलास सुनाया

गया।

(अंशुल सिंह)

सहायक R.A.S. लेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना

राजस्व-वाद, संख्या 294/2019
दायर दिनांक 17.12.19, निर्णय दिनांक 07.08.2020
गुजीबुर रहमान बनाम भंवरसिंह, वगैरा।

दावा बाबत
बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा- 53, 188, R.T.Act.

उपरिस्थित:-

1. श्रीमति सन्तोष जाजू व श्री मुस्ताक खां वकील वादी उपरिस्थित।
2. श्री हकीम खां वकील प्रतिवादी सं. 30, 31 उपरिस्थित।

-:: अंतिम निर्णय ::-

दिनांक 07.08.2020

सरहद पावटा में पैतृक सम्पत्ति की भूमि खेत खसरा नम्बर पुराना 45 व नया खसरा नम्बर 108 रकबा 18.02 बीघा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 18.03.2020 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 875 दिनांक 17.06.2020 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन जरिये पत्रांक: 875 दिनांक 17.06.2020 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा डिक्री सादिर कर, सरहद पावटा में पैतृक सम्पत्ति की भूमि खेत खसरा नम्बर पुराना 45 व नया खसरा नम्बर 108 रकबा 18.02 बीघा भूमि का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 875 दिनांक 17.06.2020 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 875 दिनांक 17.06.2020 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(अंशुल सिंह)

सहायक R.A.S. लेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना

अंतिम निर्णय आज दिनांक 07.08.2020 को सरे इजलास सुनाया

गया।

(अंशुल सिंह)

सहायक R.A.S. लेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना

डिक्री बमुकददमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाक्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
वइजलास : श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 294/2019

दायर दिनांक 17.12.2019

वादीगण	प्रतिवादीगण
<p>1. मुजीबुर रहमान पुत्र हुसैन खां उम्र 44 वर्ष, जाति कायमखानी, निवासी-छापरी खुर्द, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।</p>	<p>1. भंवरसिंह पुत्र स्व. मगनसिंह 2. दौलतसिंह पुत्र स्व. मगनसिंह 3. लालसिंह पुत्र स्व. मगनसिंह 4. दयालसिंह पुत्र स्व. मगनसिंह 5. किरण कंवर पुत्री स्व. मगनसिंह 6. सूरजकंवर पुत्री स्व. मगनसिंह 7. अमर सिंह पुत्र स्व. उगमसिंह 8. पूर्णसिंह पुत्र स्व. उगमसिंह 9. रघुवीरसिंह पुत्र स्व. उगमसिंह 10. बुद्धराजसिंह पुत्र स्व. लिछमणसिंह 11. सोहन कंवर पत्नि स्व. लिछमणसिंह 12. छगन कंवर पत्नि स्व. सुगनसिंह 13. रूपसिंह पुत्र केशरसिंह 14. नाहरसिंह पुत्र केशरसिंह 15. इन्द्रसिंह पुत्र केशरसिंह 16. चैनसिंह पुत्र केशरसिंह समस्त जातियान- राजपुत, निवासी-छापरी कला 17. हसन बानो बेवा बाबुखां 18. नूर मो. खां पुत्र बाबुखां 19. नवीशर खां पुत्र बाबुखां 20. अब्दुल रहमान पुत्र बाबुखां 21. शहनाज पुत्री बाबुखां 22. मुस्ताकखां पुत्र अरतअलीखां समस्त जातियान- कायमखानी, निवासी-छापरी खुर्द 23. जरीना बानो पत्नी मुमताज 24. नेक मोहम्मद पुत्र मुमताज 25. इरफान पुत्र मुमताज 26. सफी पुत्र मुमताज 27. रहीशा पुत्री मुमताज 28. बलकेश पुत्री मुमताज समस्त जातियान- मुसलमान नाई, निवासी छापरी खुर्द 29. अजीतखां पुत्र नजीरखां जाति कायमखानी, निवासी-बडी छापरी। 30. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रूपाराम जाति जाट, निवासी- तारपुरा। 31. अयुबखां पुत्र समदरखां जाति कायमखानी निवासी- छापरी खुर्द। 32. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर (राज)।</p>

बनाम्

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 294/2019
दायर दिनांक 17.12.19, निर्णय दिनांक 07.08.2020
मूजीदूर रहमान बनाम भंवरसिंह, वगैरा।

बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा- 53, 188, R.T.Act.

दिनांक 07.08.2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्रीमति सन्तोष जाजू व श्री मुस्ताक खां वकील वादी व श्री हकीम खां वकिल प्रतिवादी सं. 30 व 31 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, दावा डिक्ली सादिर कर, सरहद पावटा में पैतृक सम्पत्ति की भूमि खेत खसरा नम्बर पुराना 45 व नया खसरा नम्बर 108 रकवा 18.02 बीघा भूमि का "वाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 875 दिनांक 17.06.2020 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 875 दिनांक 17.06.2020, निर्णय एवं डिक्ली का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्ली जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बावत.....-.....

...खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 07.08.2020 को सरे इजलास में जारी की गयी।


सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अजीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


सहायक कलेक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)